

## Contest for making songs and videos on Anti-Drug Abuse

### Terms and Conditions

1. The Competition is open to all citizens of India only.
2. The Music Video should be uploaded on YouTube as an “Unlisted” Video and its URL must be shared on MyGov on this task. Entries submitted through any other medium/mode would not be considered for evaluation.
3. The participants can also post their video of maximum duration 2 minutes on any social media platform like Facebook, Instagram, Twitter or YouTube, and share the publicly accessible link. They would be required to use **#SayNoToDrug** and tag **@MyGovIndia**
4. The award winning music-video would be the intellectual property of the Narcotics Control Bureau (NCB), Government of India and the winner cannot exercise any right over it, after acceptance of the award.
5. The winning music-video is meant to be used by Government of India for promotional and display purposes and also for any other use as may be deemed appropriate for the initiative. None of the entries must contain any provocative, objectionable or inappropriate content.
6. Multiple submissions by the same participant would not be considered.
7. The participant must be the same person who has made/produce the short-film and plagiarism would not be allowed. Please note that the short-film must be original and should not violate any provision of the Indian Copyright Act, 1957.
8. Anyone found infringing on others’ copyright would be disqualified from the competition.
9. Government of India does not bear any responsibility for copyright violations or infringements of intellectual property carried out by the participants.
10. Participant must ensure that his/her MyGov profile is accurate and updated since the department would be using this for further communication. This includes details such as name, photo, complete postal address, email ID and phone number. Entries with incomplete profiles would not be considered.
11. **Prizes** at different level will be as following from the Narcotics Control Bureau:
  - 1st Prize – INR 15000/-
  - 2nd Prize – INR 10000/-
  - 3rd Prize – INR 5000/-
  - 10 Consolation Prizes- INR 2000/- each

12. There will be no notification to participants of rejected entries.
13. Narcotics Control Bureau reserves the right to reject any entry, which he/she does not feel, is suitable or appropriate or which does not confirm to any of the conditions listed above.
14. Expenses all disputes/ legal complaints are subject to jurisdiction of Delhi only incurred for this purpose will be borne by the parties themselves.
15. Payment to the award winners will be made electronically through ECS for which necessary bank details will be taken after declaration of winners of the contest.
16. Narcotics Control Bureau reserves the right to cancel or amend all or any part of the Contest and/ or the Terms & Conditions/ Technical Parameters/Evaluation Criteria. However, any changes in the Terms & Conditions/ Technical Parameters/ Evaluation Criteria, or cancellation of the Contest, will be updated/ posted on the MyGov platform. It would be the responsibility of the participants to keep themselves informed of any changes in the Terms & Conditions/ Technical Parameters/

**Evaluation Criteria:**

1. The Panel of Jury will assess all the qualified entries received for award.
2. Entries will be judged on the basis of elements of creativity, originality, composition, simplicity, merit and how well they communicate and promote the sense Anti-Drug message.
3. The decision of the Panel of Jury will be final and binding on all the Contestants and no clarifications will be issued to any participants for any of their decisions.
4. NCB will have all intellectual rights over winning entries for usage in a way felt appropriate by it. Winning participant will have no right or claim on the submitted entries once the winners are declared.
5. In case of any dispute arising out of the competition/its entries/ winners, NCB's decision will be final.

-----

नशीली दवाओं का दुरुपयोग पर गीत और वीडियो बनाने के लिए प्रतियोगिता

निबंधन और शर्तें

1. प्रतियोगिता केवल भारत के सभी नागरिकों के लिए खुली है।
2. संगीत (म्यूजिक) वीडियो को यूट्यूब (YouTube) पर "अनलस्टेड" वीडियो के रूप में अपलोड करना होगा और इस कार्य में MyGov पर इसका URL साझा करना होगा। मूल्यांकन के लिए किसी अन्य साधन / मोड के माध्यम से प्रस्तुत की गई प्रविष्टियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. प्रतिभागी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या यूट्यूब जैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिकतम 2 मिनट के अपने वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं और सार्वजनिक रूप से सुलभ लंक साझा कर सकते हैं। उन्हें

#SayNoToDrug और टैग @MyGovIndia का उपयोग करना आवश्यक होगा

4. पुरस्कार जीतने वाली संगीत-वी डयो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी ), भारत सरकार की बौद्धिक संपत्ति होगी और पुरस्कार की स्वीकृति के बाद वजेता का उस पर कोई अधिकार नहीं होगा।
5. वजेता संगीत-वी डयो का उपयोग भारत सरकार द्वारा प्रचार और प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तथा कसी अन्य उपयोग के लिए भी किया जा सकता है , जिसे पहले के लिए यथोचित समझा जाएगा। प्रवृष्टियों में कसी भी प्रकार की उत्तेजक, आपत्तिजनक या अनुचित सामग्री शामिल नहीं होनी चाहिए।
6. एक ही प्रतिभागी द्वारा जमा की गई अनेक प्रस्तुतियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. प्रतिभागी, वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने लघु- फिल्म बनाई है और साहित्यिक चोरी की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। कृपया ध्यान दें कि लघु फिल्म मूल होनी चाहिए और भारतीय प्रतिरक्षक (कॉपीराइट) अधिनियम, 1957 के कसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
8. कसी अन्य के कॉपीराइट का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर , उसे प्रतियोगिता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
9. प्रतिभागियों द्वारा बौद्धिक संपत्ति के कॉपीराइट उल्लंघन या साहित्यिक चोरी के लिए भारत सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।
10. प्रतिभागी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका MyGov प्रोफाइल सही और अपडेट है क्योंकि वभाग द्वारा आगे के पत्राचार के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। इसमें नाम , फोटो, पूरा डाक पता, ईमेल आईडी और फोन नंबर जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। अधूरे प्रोफाइल वाली प्रवृष्टि पर विचार नहीं किया जाएगा।
11. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से विभिन्न स्तरों पर निम्नानुसार पुरस्कार होंगे:
  - प्रथम पुरस्कार - 15000/- रु.
  - द्वितीय पुरस्कार - 10000/- रु.
  - तृतीय पुरस्कार - 5000/- रु.
  - 10 सांत्वना पुरस्कार- प्रत्येक 2000/- रु.
12. उन प्रतिभागियों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी जिनकी प्रवृष्टियां अस्वीकृत होंगी।
13. ऐसी कसी भी प्रवृष्टि को अस्वीकार करने का अधिकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का होगा , जिसे ब्यूरो उपयुक्त या उचित न समझे या जो उपर्युक्त सूचीबद्ध शर्तों में से कसी शर्त की पूर्ति न करती हो।
14. सभी विवाद / कानूनी शिकायतें दिल्ली के क्षेत्राधिकार के अधीन हैं , इस उद्देश्य हेतु कए गए विषय का वहन पक्षकारों द्वारा स्वयं किया जाएगा।
15. पुरस्कार वजेताओं को भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से ईसीएस के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए प्रतियोगिता के वजेताओं की घोषणा के बाद आवश्यक बैंक विवरण लया जाएगा।
16. प्रतियोगिता के सभी या कसी भी हिस्से को और / या निबंधन और शर्तों / तकनीकी मापदंडों / मूल्यांकन मानदंडों को रद्द करने या संशोधित करने का अधिकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का होगा। तथापि, निबंधन और शर्तों / तकनीकी मानदंडों / मूल्यांकन मानदंडों , या प्रतियोगिता को रद्द करने से संबंधित कसी भी संशोधन के बारे में MyGov मंच पर अपडेट / पोस्ट किया जाएगा। यह प्रतिभागियों की जिम्मेदारी होगी कि वे निबंधन और शर्तों / तकनीकी मानदंडों में कसी भी संशोधन के बारे में अपने आप को अवगत रखें।

मूल्यांकन संबंधित मानदंड:

1. पुरस्कार के लिए प्राप्त सभी योग्य प्रवृष्टियों का आकलन निर्णायक मंडल द्वारा किया जाएगा।
2. प्रवृष्टियों का आकलन रचनात्मकता, मौलिकता, संरचना, सरलता, योग्यता के तत्वों और एंटी-ड्रग संदेश को भली-भांति संचारित और प्रचारित करने की प्रभावशीलता के आधार पर किया जाएगा।
3. निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा और सभी प्रतियोगियों द्वारा बाध्यकारी होगा और उनके किसी भी निर्णय के लिए किसी भी प्रतिभागी को कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया जाएगा।
4. वजेता प्रवृष्टियों के यथोचित समझे गए उपयोग करने के लिए सभी बौद्धिक अधिकार एनसीबी के पास निहित होंगे। वजेता घोषित होने के पश्चात जीतने वाले प्रतिभागी का प्रस्तुत प्रवृष्टियों पर कोई अधिकार या दावा नहीं होगा।
5. प्रतियोगिता / इसकी प्रवृष्टियों / वजेताओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में , नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) का निर्णय अंतिम होगा।